अध्याय-IV

निगरानी

4.1 निगरानी समितियों की बैठकें

4.1.1 राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति द्वारा अपर्याप्त निगरानी

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 17 और 18 के अनुसार, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय निगरानी समिति को न्यास के उद्देश्यों के अनुरूप सभी जिलों के न्यासों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण करनी चाहिए और वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करनी चाहिए।

इसी प्रकार, राज्य शासन द्वारा राज्य स्तरीय निगरानी समिति के कार्यान्वयन निर्णयों की निगरानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समीक्षा समिति का गठन (मई 2018) किया गया। राज्य स्तरीय समीक्षा समिति को न्यासों के कार्यों/गतिविधियों की प्रगति की त्रैमासिक समीक्षा करनी चाहिए और राज्य स्तरीय निगरानी समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने केवल तीन बैठकें (जनवरी 2016, नवंबर 2019 और सितंबर 2022) आयोजित की, जो आवश्यक नौ बैठकों से कम हैं। इसी तरह, राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की निर्धारित 36 बैठकों के बजाय केवल दो बैठकें (जून 2020 से नवंबर 2022 तक) हुईं। नवंबर 2022 के बाद राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति की कोई बैठक नहीं हुई।

इस प्रकार, राज्य स्तरीय निगरानी समिति और राज्य स्तरीय समीक्षा समिति दोनों की बैठकों के आयोजन में हुई कमी के कारण न्यासों के कामकाज की अपर्याप्त निगरानी हुई, जिसके परिणामस्वरूप जवाबदेही का अभाव, संसाधनों का अक्षम उपयोग, हितग्राहियों की पहचान किए बिना योजना का कार्यान्वयन, प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अलावा अन्य गतिविधियों पर व्यय आदि जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई, जिससे अंततः खनन प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के प्रभावी कार्यान्वयन पर असर पड़ा।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि कोविड महामारी के कारण वर्ष 2020 और 2021 में बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। वर्ष 2022 में, राज्य स्तरीय निगरानी समिति की तीसरी बैठक (25 सितंबर 2022) आयोजित की गई थी, जिसमें न्यास के उद्देश्य के विपरीत कार्यों की स्वीकृति पर रोक लगा दी गई।

4.1.2 प्रबंधकारिणी समिति और शासी परिषदों द्वारा अपर्याप्त निगरानी

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 12 और 13 के अनुसार, न्यास की शासी परिषद न्यास के संचालन के लिए रूपरेखा तैयार करने और अनुमोदित करने और समय-समय पर न्यास के कामकाज की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगी। तदनुसार,

शासी परिषद की बैठकें आवश्यकतानुसार, लेकिन कम से कम हर छह महीने में एक बार अवश्य होनी चाहिए।

इसी प्रकार, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 14 और 15 के अनुसार, प्रबंधकारिणी समिति को न्यास के हितों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते समय उचित सावधानी बरतनी चाहिए। प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें एक वित्तीय वर्ष में कम से कम चार बार आयोजित की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि शासी परिषद और प्रबंधकारिणी समिति दोनों ही छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के अनुसार अनिवार्य रूप से बैठकें करने में विफल रहीं, जो न्यास की गतिविधियों की अपर्याप्त निगरानी को दर्शाता है। वर्ष 2016-17 से 2023-24 के दौरान दोनों द्वारा आयोजित बैठकों का विवरण नीचे दिए गए **चार्ट 4.1** एवं **चार्ट 4.2** में दिया गया है।

चार्ट 4.1: शासी परिषद की बैठकें

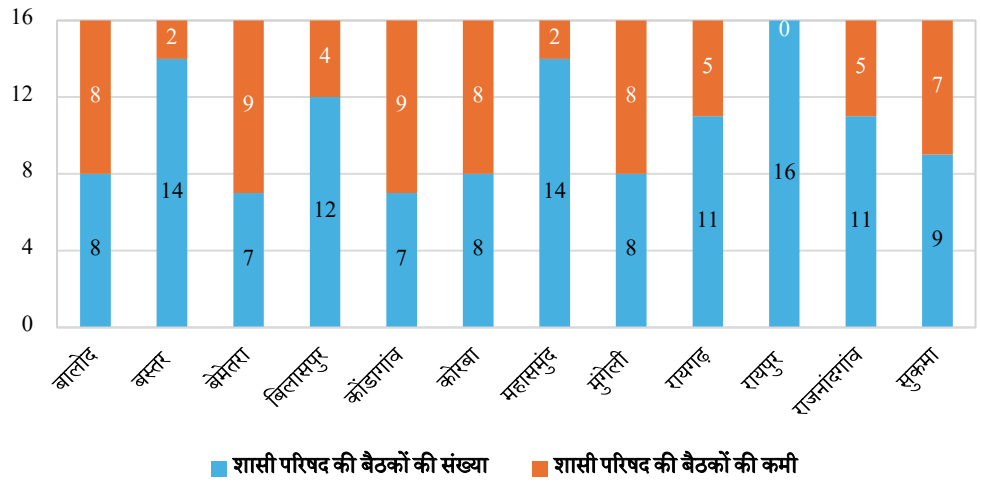

चार्ट 4.2: प्रबंधकारिणी समिति की बैठकें

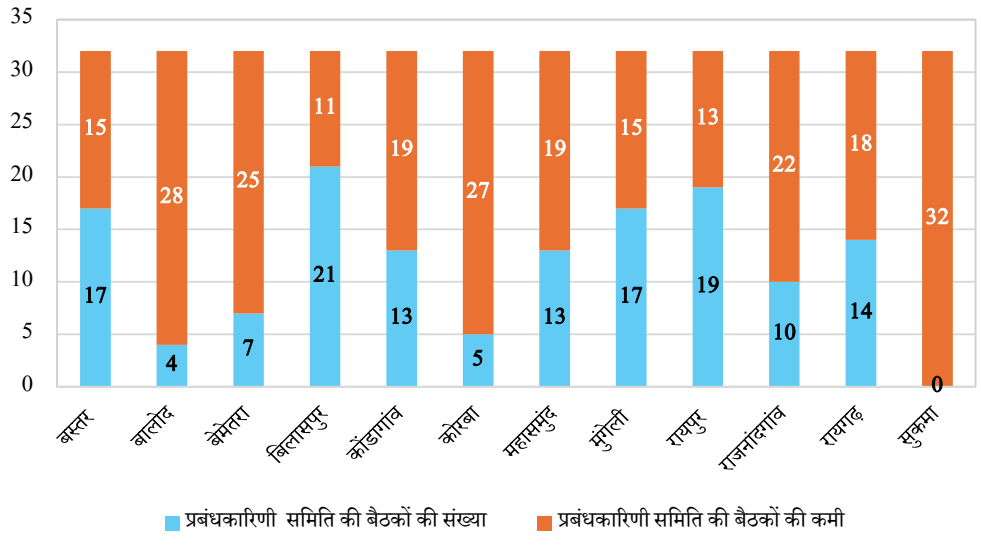

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि कोविड-19 महामारी के कारण निर्धारित बैठकें आयोजित नहीं की गई थीं, हालाँकि, समय सीमा बैठकों में जिला खनिज संस्थान न्यास से संबंधित कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की गई है, वर्तमान में बैठकें निर्धारित समय के अनुसार आयोजित की जा रही हैं।

प्रबंधकारिणी समिति और शासी परिषद को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना के उचित कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए नियमित बैठकें करनी चाहिए।

4.2 जवाबदेही एवं पारदर्शिता तंत्र

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना दिशानिर्देश, 2015 के अनुच्छेद 5 और छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 15 (13) के अनुसार प्रबंधकारिणी समितियों को वेबसाइट तैयार करनी चाहिए और उसे संधारित रखना चाहिए तथा न्यास की संरचना का विवरण, खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची, पट्टेदारों से प्राप्त सभी अंशदानों का त्रैमासिक विवरण, सभी बैठकों का एजेंडा, न्यास की कार्यवृत्त और की गई कार्रवाई की प्रतिवेदन, वार्षिक योजनाएं, बजट आदि जैसी जानकारी उपलब्ध करानी चाहिए।

चयनित किए गये 12 जिलों की वेबसाइटों की लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि न्यास की संरचना, खनन से प्रभावित क्षेत्रों और व्यक्तियों की सूची, प्राप्त अंशदान का त्रैमासिक विवरण, किए गए कार्यों की स्थिति, वार्षिक योजना और बजट, बैठकों का कार्यवृत्त आदि जैसी महत्वपूर्ण जानकारी वेबसाइटों पर प्रकट/अद्यतन नहीं की गई थी।

इस प्रकार, सूचना के प्रकटीकरण की कमी और वेबसाइट पर उनका समय पर अद्यतन न होना अपर्याप्त निगरानी और निधियों के उपयोग में पारदर्शिता की कमी को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा में इंगित किए जाने पर, राज्य शासन ने कहा (अगस्त 2025) कि जिलों ने वर्ष 2015-16 से लेखापरीक्षा प्रतिवेदन और वर्ष 2016-17 से वार्षिक प्रतिवेदन पूरी कर ली है और इसे जिला खनिज संस्थान पोर्टल और खान मंत्रालय (भारत सरकार) पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि न्यासों की वेबसाइट पर अभी तक महत्वपूर्ण जानकारी अपलोड नहीं की गई है (सितंबर 2025)।

4.3 मानव संसाधन

व्यवस्थापक ने (जुलाई 2017) छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 के नियम 26 (4) के अनुसार, प्रत्येक जिले में न्यास के कार्यालय चलाने के लिए कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए आदेश जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यास स्वीकृत संख्या के विरुद्ध न्यास की गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए पर्याप्त कुशल मानव संसाधन नियुक्त नहीं कर सके। इसके अलावा, न्यासों ने विकास सहायकों और सहायक परियोजना समन्वयक, लेखापाल आदि जैसे महत्वपूर्ण पदों को नहीं भरा,

जबकि ये पद स्वीकृत संरचना में शामिल थे। **चार्ट 4.3** में मानव संसाधन की इस महत्वपूर्ण कमी को दर्शाया गया है।

चार्ट 4.3: पदस्थ एवं रिक्त पदों की स्थिति

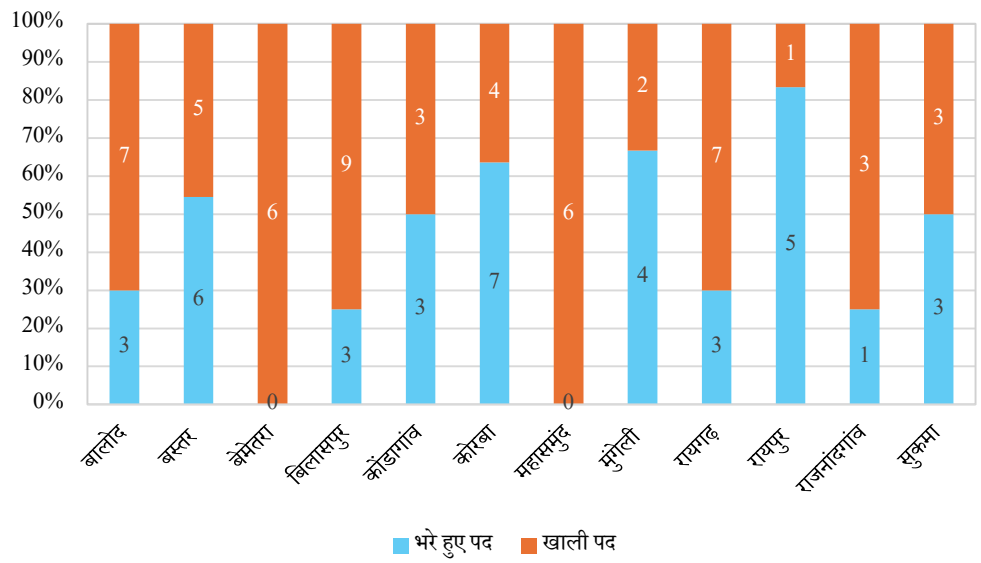

12 न्यासों की प्रबंधकारिणी समिति ने अपनी स्थापना के बाद से परियोजना समन्वयक, सहायक परियोजना समन्वयक, लेखाकार और सहायक जैसे प्रमुख पदों को नहीं भरा है, जिसका विवरण **परिशिष्ट 4.1** में दिया गया है। दो जिलों[1] में 100 प्रतिशत और चार जिलों[2] में 50 प्रतिशत से अधिक मानव संसाधन की कमी थी।

मानव संसाधन की कमी ने न्यास कार्यालयों के सुचारू कामकाज को गंभीर रूप से प्रभावित किया।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया कि विभाग रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए अधिसूचना जारी करेगा।

4.4 अभिलेखन

छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 का नियम 25 यह निर्धारित करता है कि प्रबंधनकारिणी समिति को न्यास निधि से संबंधित उचित लेखा-पुस्तकों, दस्तावेजों और अभिलेखों का संधारण करना चाहिए या संधारण करने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि न्यास के कार्यों का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत किया जा सके। न्यास द्वारा जिलों में खनन से संबंधित गतिविधियों, न्यास निधि की प्राप्ति, न्यास निधि से व्यय, हितग्राहियों की सूची, न्यास में प्राप्त प्रस्ताव, न्यास द्वारा अनुमोदित कार्यों और न्यास में प्राप्त शिकायतों के लिए व्यवस्थापक द्वारा जारी निर्धारित प्रारूप के अनुसार अलग-अलग पंजी बनाए रखे जाने चाहिए।

1 बेमेतरा एवं महासमुंद

2 बालोद, बिलासपुर, रायगढ़ एवं राजनांदगांव

लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी 12 चयनित जिला खनिज संस्थान न्यास प्रशासकीय स्वीकृतियों का पंजी, कार्यान्वयन एजेंसियों को राशि जारी करने, उपयोगिता प्रमाण पत्र की प्राप्ति आदि जैसे पंजी और बहीखाते रखने में विफल रहे, इसके अतिरिक्त, राज्य स्तरीय निगरानी समिति ने नियमों के तहत आवश्यक अभिलेख संधारण के लिए प्रारूप भी निर्धारित नहीं किए थे। न्यास अपने कार्यों और गतिविधियों के अभिलेख केवल संपादन योग्य डिजिटल प्रारूप (एक्सेल स्प्रेडशीट) में रखते थे, जो परिवर्तन के प्रति संवेदनशील थे और आसानी से संशोधित किए जा सकते थे।

कोरबा जिले में, न्यास के अभिलेख कालानुक्रमिक संगठन के बिना अव्यवस्थित फाइलों में रखे गए थे। इसी प्रकार, चार जिलों (महासमुंद, कोरबा, बालोद, बेमेतरा) में भी न्यास के अभिलेख ठीक से नहीं रखे गए थे। इसके अलावा, सभी 12 जिलों में, कार्यान्वयन एजेंसियों ने लेखापरीक्षा के लिए क्रय के अभिलेख खुली फाइलों में प्रस्तुत किया, जिसके कारण अभिलेख/फ़ाइल की पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

निर्गम सम्मेलन (अगस्त 2025) के दौरान, यह कहा गया था कि पर्याप्त मानव संसाधन की कमी इसका कारण है, और विभाग जल्द से जल्द रिक्त पदों को भरने के लिए अधिसूचना जारी करेगा। वर्तमान में, न्यासों को प्रशासकीय अनुमोदन और निधि अंतरण आदेशों के लिए अलग-अलग पंजी बनाए जा रहे हैं।

तथ्य यह है कि राज्य स्तरीय निगरानी समिति नियमों के तहत आवश्यक अभिलेख-संधारण के लिए प्रारूप निर्धारित कर सकता है और न्यास कार्यान्वयन एजेंसियों के अभिलेख की निगरानी कर सकते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे उचित दस्तावेज बनाए रखें।